



DSSSB TGT & PGT



Part-B

SCHOLAR BATCH

SST

Fundamental Rights

Part-2



00 05 0001 01 00 PM

अन. 15

मैदमाव का प्रतिषेध केवल

धर्म

मूलवंश

जाति

लिंग

अन्तर्याम

या इनमें से
किसी भी एक
आधार
पर

15(1) = राज्य नागरिकों के साथ
इनमें से किसी भी एक आधार
पर मैदमाव नहीं कर सकता है

15(2) राज्य + प्राइवेट व्यक्ति भी
मैदमाव नहीं कर सकता

सार्वजनिक स्थान $\rightarrow$ मॉर्चे
रестोरेंट में प्रवेश
उपक्रम = सार्वजनिक स्थान $\rightarrow$ दुकान
वित्त पोषित

15(3) = राज्य महिलाओं और
बच्चों के लिए विशेष
प्रावधान

15(4) पंचम संविधान संशोधन
1951
सामाजिक और शैक्षणिक हानि
से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष
रक्षण

15(5) SC/ST/other वर्ग
के बच्चों के लिए प्रवेश में
छूट
सरकारी + निजी शिक्षण
संस्थान

15(6) = EWIS = 10% अरूढ़

16 = लोकनियोजन के विषय
में अपसर भी समानता

केवल

धर्म

भूतवश

जाति

लिंग

अन्धस्थान

निवास्थान

वैराकुम

या इनमें से किसी
भी रुक आधार पर
कोई भेदभाव नहीं
किया जायेगा।

17 → अस्पृश्यता का अन्त

18 → उपाधियों का अन्त

राज्य उपाधि नहीं दे सकना
प्राइवेट व्यक्ति चाहें तो उपाधि
दे सकना है।

विदेशी नागरिक → राज्य के अधीन
सेवा

राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही
विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण

भारतीय नागरिक — विदेशी
राज्य
उपलब्धि में उपलब्ध
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति
आवश्यक है।

अधिकार

Reasonable
Restrictions

युक्तियुक्त
उ निर्विधन

सीमाएं भारीपित
कर देना

19(1)(a) मापण एवं अभि
की स्वतंत्रता का

(b) शांतिपूर्ण एवं हथि
रहित सम्मेलन आ

(c) संघ संगम एवं स
संमिति बनाये

(d) अवाय संचरण

(f) वसुगाने का अधिकार

(g) व्यवसाय करने का
अधिकार